

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

क्रमांक: प.3(11)अल्प.वक्फ/2017/RK/00746

जयपुर, दिनांक : 14 अक्टूबर, 2020

वित्तीय स्वीकृति आदेश

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत 43 मदरसों में विनिर्माण कार्य हेतु विभागीय पत्रांक प.3(11)अल्प.वक्फ/2017/आर.के./00420 दिनांक 07.07.2020 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्यों की संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा तकनीकी स्वीकृति मय विस्तृत तकमीना सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त प्राप्त होने पर निम्न कार्यों की वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किस्त की 50 प्रतिशत राशि संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को हस्तान्तरण किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	जिला	मदरसे का नाम	पंजीयन संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)	तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कुल लागत राशि	जनसहयोग से प्राप्त 10 प्रतिशत राशि	राज्यांश की 40 प्रतिशत राशि	प्रथम किस्त 50 प्रतिशत हस्तांतरित की जाने वाली राशि	कार्यकारी एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बूंदी	मदरसा अन्जुमन इस्लामियां मास्टर कॉलोनी, अंजुमन इस्लाम नैनवा, जिला बूंदी	177	7.85	785000	78500	314000	392500	सार्वजनिक निर्माण विभाग, नैनवा, बूंदी
2	बाड़मेर	मदरसा फेजे कादिरया, महाराणी साऊद, खलीफा की बावड़ी, तह0 शिव, जिला बाड़मेर	3519	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत खलीफे की बावड़ी, पं.स. गडरा रोड
3	प्रतापगढ़	मदरसा तालिमुल कुरआन, ग्राम बजरंगगढ़ ग्राम पंचायत असावता मस्जिद के पास, जिला प्रतापगढ़	3159	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत असावता पं.स. प्रतापगढ़
4	दौसा	मदरसा तालिमुल इस्लाम भानपुर तहसील सिकराय जिला दौसा	203	11.87	1187000	118700	474800	593500	समसा
5	दौसा	मदरसा हबीबीया मस्जिद जगनेर तुर्कान, सोनड, तहसील लालसोट, जिला दौसा	543	15.00	1500000	150000	600000	750000	समसा
6	भरतपुर	मदरसा दारुल उलूम इस्लाम अरबिया हिफजुल कुरान, ग्राम पालकी, पोस्ट खेराती, तहसील नगर, जिला भरतपुर	1265	22.61	2259525	225952.5	903810	1129762.5	समसा
7	धौलपुर	मदरसा मुहम्मदिया एहले हदीस बाड़ी, पुराना बस स्टैण्ड, बाड़ी, धौलपुर	1203	22.61	2264000	226400	905600	1132000	नगर पालिका, मण्डल बाड़ी, धौलपुर

उक्त व्यय बजट मद 2202-01-800-(05)-00-93-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान मद से वहन किया जायेगा।

जनसहयोग से प्राप्त 10 प्रतिशत राशि राजस्थान मदरसा बोर्ड के बैंक खाता संख्या 61277458596 से एवं राज्यांश की 40 प्रतिशत राशि बजट मद 2202-01-800-(05)-00-93 से व्यय की जायेगी।


उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन होंगी:-

1. योजनान्तर्गत राशि का उपयोग दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

135/c


2. कार्यकारी एजेन्सी को प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि दी जायेगी। राशि का व्यय होने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही शेष राशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
3. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को राशि तीन किस्तों (50:40:10) में हस्तान्तरण की जावेगी।
4. समस्त स्वीकृत/चयनित कार्यों का परिवेक्षण सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर द्वारा किया जायेगा।
5. स्वीकृत राशि में समस्त प्रकार के व्यय जैसे क्वालिटी कन्ट्रोल, कन्टीजेन्सी एवं प्रो-रेटा आदि सम्मिलित है तथा स्वीकृत राशि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। योजना के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।
6. यह स्वीकृति वर्तमान में लागू आदर्श आचार संहिता के अध्यक्षीन जारी की जाती है आदर्श आचार संहिता की पालना राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त(व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 161901218 दिनांक 07.01.2020 के अनुसरण में जारी की जाती है।


(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान मदरसा बोर्ड।
5. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय।
8. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
9. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी मार्फत सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
10. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मार्फत सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
11. लेखा शाखा, भुगतान, कार्यालय राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
12. संबंधित मदरसा सदर/सचिव मार्फत सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।


(रमेश चन्द परेवा)
सहायक शासन सचिव